



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सूचना के अधिकार की दशा एवं दिशा

डॉ० विजय कुमार

एम० ए०, पी-एच० डी०, एम० फिल०,
राजनीति विज्ञान,

बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

भारत में विकास एक गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया है। यह एक बहु आयामी प्रक्रिया भी है क्योंकि यहाँ अनेक ऐसे कार्य एक साथ करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जो विकसित देशों में एक लम्बी अवधि के दौरान हुए थे। यूरोप में पुनर्जागरण के 150-200 वर्षों के बाद विकसित देशों में औद्योगिक क्रांति पहले हुई और उसके पश्चात् सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आए अर्थात् पहले वैचारिक क्रांति आई, उसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और इसके बहुत समय बाद पूंजीवादी या समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत में सभी क्रांतियाँ साथ-साथ चलाने का प्रयास किया गया जिसके परिणामस्वरूप विकास की प्रक्रिया और परिस्थितियाँ और कठिन एवं पेचिदा हो गईं। जहाँ एक तरफ ग्रामीण विकास की दिशा में प्रयास किये गए तो दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण का दर्शन अपनाया गया। इस प्रकार ग्रामीण विकास और विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ प्रयास किए गए।

पूँजीवाद, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण, क्रांति, परिवर्तन

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही राष्ट्र के नेतृत्व के समक्ष भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी थी। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। अतः समकालीन भारतीय राजनीति के सभी प्रश्न विकास की प्रक्रिया से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। एक लोकतांत्रिक ढांचे के अन्तर्गत समाजवादी विकास की रणनीति और उसका उदारीकरण, एक परम्परागत समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण एवं आधुनिकीकरण के प्रयास और एक महाद्वीपीय आकार की भौगोलिक इकाई की विविधताओं को सहेजते हुए राष्ट्रीय एकीकरण की खोज ने भारत में अनेक नवीन शक्तियों एवं आन्दोलनों को जन्म दिया है जिनमें वामपंथी आन्दोलन, महिला आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जनाधिकार आन्दोलन, दलित आंदोलन एवं अधुनातन उच्च जातियों के आंदोलन भी उल्लेखनीय हैं। इन आन्दोलनों ने परोक्ष-अपरोक्ष रूप में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को प्रभावित किया है।

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व किए गए ग्रामीण विकास के प्रयासों में एम० विश्वेश्वरैया का नाम सर्वप्रथम लिया जा सकता है। एम० विश्वेश्वरैया की आर्थिक नियोजन पर पुस्तक सन् 1934 में 'प्लान्ड इकोनॉमी फार इण्डिया' प्रकाशित हुई जिसमें भारत के आर्थिक विकास के लिए एक दस वर्षीय आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। इसमें उद्योगों को विशेष महत्व देते हुए व्यवसायों में संतुलन स्थापित करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया था। इसके पश्चात् सन् 1938 में पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया। चूंकि राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू ही बाद में प्रधानमंत्री बने, अतः इस समिति के विचार परवर्ती आयोजन के आधार बने। राष्ट्रीय आयोजन समिति के अतिरिक्त आठ प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए बम्बई योजना बनाई गयी।

ग्रामीण विकास की गति को तीव्र करने के लिए विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया और इस दिशा में बी० आर० मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति तथा 73 वाँ एवं 74 वाँ संविधान संशोधन विधेयक उल्लेखनीय हैं। इनके माध्यम से शासन सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकाधिक विकास का प्रयास किया गया किन्तु जब शासन सत्ता द्वारा किए गए समस्त प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि कुछ ऐसी सामान्य चुनौतियाँ हैं जो शासन एवं प्रशासन के समक्ष ग्रामीण विकास में बाधा बनकर उभर रही हैं और न्याय एवं समता जैसे आदर्शों की प्राप्ति में कठिनाई उपस्थित कर रही हैं।

प्रयासों की दषा एवं दिषा

समकालीन भारत राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों की एक रोचक प्रयोगशाला है। स्पष्टतया यह संक्रमणकालीन समाज का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। विगत एक दशक या उससे कुछ अधिक समय से भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ते जा रहे हैं और ये दबाव कभी-कभी तो इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानों प्रजातंत्र का मात्र ढाँचा ही रह जाएगा। भविष्य में भी इनमें ह्रास होने की कोई विशेष सम्भावना नहीं दृष्टिगत होती है। इसके कुछ निश्चित कारण हैं।

- राजनीतिक व्यवस्था से अधिक मांग की जा रही है। व्यवस्था इसके अनुकूल अपनी क्षमता बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पा रही है। पुनः व्यवस्था का एक निश्चित वर्ग अन्य वर्गों के हिस्से का लाभ भी अनुचित तरीके से ले रहा है और इस प्रकार समग्र व्यवस्था को असंतुलित कर रहा है।
- भारत में राजनीति की जिस शैली का विकास हुआ है उसमें मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं है, साध्य की प्राप्ति का महत्व है, साधनों का नहीं। राजनीति में नकारात्मक प्रभावों यथा क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद तथा भाषावाद की भूमिका बढ़ रही है। परिणामस्वरूप राजनीतिक व्यवस्था बिखराव की ओर अग्रसर हो रही है।

- भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों का हास भी तीव्र गति से हुआ है परन्तु ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में जिन लोगों ने इसे अपनाया है, उनमें से अधिकांश ने न तो इसकी समुचित तैयारी की और न ही उनमें समाज और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है; न तो उसमें दूरदर्शिता है और न ही सामाजिक कल्याण के प्रति निरपेक्ष समर्पण। ऐसे राजनीतिज्ञों के हाथों में येन-केन प्रकारेण धन अथवा शक्ति अथवा दोनों के अर्जन के साधन के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है?

उपर्युक्त वर्णित राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव प्रशासन पर भी पड़ता है क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था मात्र है। प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था होने के नाते निरन्तर इससे क्रिया-प्रतिक्रिया करती रहती है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं प्रभावित होने के साथ-साथ उसे भी प्रभावित करती है लेकिन इन दोनों में निर्णायक प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था का होता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी उसे ऐसी दक्ष, कुशल और विशिष्ट प्रकार की लोक सेवा चाहिए थी जिसका उद्देश्य जनता का कल्याण था। इस सम्बन्ध में एच. वी. कामथ ने टिप्पणी की थी कि कोई भी देश हर मामले में अग्रणी रहने वाले लोगों के दृढ़ संकल्प के बावजूद भी अकुशल सिविल सेवा के रहते हुए प्रगति नहीं कर सकता है। फाइनेर ने इस संदर्भ में यह टिप्पणी की है कि “आधुनिक राज्यों को सिविल सेवाओं के विशेष प्रकार की आवश्यकता है क्योंकि उनसे दो मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वे कुशल-ज्ञान प्रदान, करते हैं जिसके बिना मंत्रीगण एवं संसद ठीक प्रकार से नीतियाँ बनाना और कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं और नीति निर्माणक अंग के आदेशों को पूरा करते हैं। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि यदि सरकार को जनता के लिए अधिकाधिक कार्य करना है तो इसके कर्मचारियों को सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उपकरण के रूप में और अधिक प्रगतिशील तथा रचनात्मक भाग लेना चाहिए। किन्तु यह एक विडम्बना ही रही कि स्वतंत्रता प्राप्ति के छः दशकों के पश्चात् भी ऐसी दक्ष और कुशल सिविल सेवाओं की प्राप्ति नहीं हो पाई जो विकास लक्ष्यों को सर्वांग से प्राप्त कर पाती। यही कारण रहा कि जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रारंभिक कुछ वर्षों में भारतीय जनमानस में अपूर्व उत्साह था और भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण था परन्तु जितनी तीव्रता से जनकांक्षाएँ बढ़ी थी, बाद के वर्षों में उतनी ही तीव्रता से निराशा का प्रसार हुआ। प्रारम्भिक विकास-योजनाओं को आम जनता ने जितने उत्साह से हाथों-हाथ लिया था बाद में क्रियान्वयन के अन्तराल ने उनमें योजनाओं के प्रति और समूची नौकरशाही के प्रति एक उदासीनता भर दी। चूंकि विकास प्रशासन ऐसा प्रशासन होता है जो विकासपरक नीतियों, कार्यक्रमों तथा आयोजनों के क्रियान्वयन के लक्ष्यों की पूर्ति में व्यस्त रहता है और उसका लक्ष्य होता है सामाजिक और आर्थिक प्रगति के परिभाषित घोषित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सहज बनाए रखना तथा उन्हें गतिशीलता एवं प्रेरणा देना। किन्तु भारत में प्रशासन उपर्युक्त वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं रहा।

सारणी

पुरुष साक्षरता-दर (2001) के अनुसार राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का क्रम निम्न प्रकार है:—

क्रम	राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश	सक्षरता दर
1.	केरल	94.24
2.	लक्षद्वीप*	92.53
3.	मिजोरम	90.72
4.	पाण्डिचेरी*	88.62
5.	गोवा	86.76
6.	दमन एवं दीव*	87.33
7.	दिल्ली*	85.97
8.	महाराष्ट्र	86.33
9.	अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह*	86.33
10.	हिमाचल प्रदेश	85.35
11.	चण्डीगढ़*	86.14
12.	उत्तराखण्ड	83.28
13.	तामिलनाडु	82.72
14.	त्रिपुरा	81.02
15.	गुजरात	79.66
16.	हरियाणा	78.49
17.	मणिपुर	80.33
18.	छत्तीसगढ़	77.38
19.	प. बंगाल	77.02
20.	मध्य प्रदेश	76.06
21.	सिक्किम	76.04
22.	राजस्थान	75.70
23.	कर्नाटक	78.10
24.	उड़ीसा	75.35
25.	पंजाब	75.23
26.	दादरा एवं नागर हवेली*	71.81
27.	असम	71.28
28.	नागालैंड	71.16
29.	आन्ध्र प्रदेश	70.32

30.	उत्तर प्रदेश	68.82
31.	झारखण्ड	67.30
32.	मेघालय	65.43
33.	जम्मू-कश्मीर	66.60
34.	अरुणाचल प्रदेश	63.83
35	बिहार	59.68

जहाँ भारत में अनुसूचित जाति आबादी के लिए पुरुष साक्षरता दर 49.91 प्रतिशत, महिला साक्षरता दर 23.76 प्रतिशत और सम्पूर्ण आबाद की साक्षरता दर 37.41 प्रतिशत है, वहीं बिहार में ये आँकड़े क्रमशः 30.64 प्रतिशत, 7.07 प्रतिशत और 19.49 प्रतिशत है। (देखें सारणी-3)

सारणी

बिहार में साक्षरता दर 1961-91(%)

वर्ष	सामान्य आबादी			अनुसूचित जाति आबादी		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961	29.8	6.9	18.4	11.2	0.9	5.95
1971	30.64	8.72	19.94	11.9	1.0	6.53
1981	38.11	13.62	26.20	18.02	2.51	10.40
1991	52.49	22.89	38.48	30.64	7.07	19.49

स्रोत-जनगणना रिपोर्ट

उपर्युक्त वर्णित साक्षरता का प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों का औसत प्रतिशत है। यदि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात देखा जाए तो उसमें बहुत अधिक विषमता पाई जाती है जो विकेन्द्रीकरण के लिए शासन एवं प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों में एक बाधा है क्योंकि साक्षरता का निम्न प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में होने के कारण यहाँ के नागरिकों को शासन एवं प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है और जब तक जनता को ही यह ज्ञात नहीं होगा कि शासन एवं प्रशासन उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है तब तक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जा रहे प्रयासों का सार्थक परिणाम संभव नहीं है।

बिहार की परिसम्पत्ति तथा देनदारी प्रश्न है तो इसके बीच का फासला 13 से 17 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है यह फर्क बहुत ही खतरनाक है। राज्य की देनदारियां बढ़ती जा रही हैं तथा परिसम्पत्तियां कम होती जा रही हैं। राज्य की दशा एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सरकार के अतिरिक्त अधिकांश, निगमों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। कम से कम कुछ निगम, जिनकी स्थिति चरमरा गयी है, को नीतीश सरकार ने पुनर्जीवित करने अथवा नवजीवन प्रदान करने का निर्णय लिया है सरकार का यह निर्णय उचित दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम है।

बिहार में ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने के लिए योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली गैर-योजना राशि के उपयोग के बारे में सरकार बहुत ही गंभीर प्रयास कर रही है। इस राशि को गैरविकासात्मक खर्च में तथा वेतन, पेंशन आदि के मद में होने वाले खर्च के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा नियंत्रण बनाना चाहिए तथा सतर्क रहना चाहिए कि विकास के लिए मिलने वाली रकम गैरविकासात्मक कार्यों में खर्च के रूप में किसी भी कीमत पर उपयोग नहीं होना चाहिए।

सूचना क्रांति की सच्चाई यह है कि जो जितनी तेजी से चल पायेगा, वही विकास को अग्रिम पंक्ति में स्थान पा सकेगा अन्यथा पीछे छूट जायेगा। ई-गवर्नेंस की प्रक्रिया से ही ग्रामीण विकास का अपेक्षित लाभ अभिवंचित वर्ग के लाभार्थियों तक तेजी से पहुंचाना संभव हो पायेगा।⁴⁹ इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक है कि सरकार की ओर से उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं का प्रबंध किया जाए किया ताकि जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच **Networking** की जा सके।

निष्कर्ष

आज भी कहा जाता है कि जब बिहार को ठण्ड लगती है, तो भारत को छींक आती है। यह भी उल्लेखनीय है कि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध दो वृहद् आंदोलन बिहार में हुए। एक बिहार के चम्पारण में महात्मा गांधी का आंदोलन, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह के हथियार को आजमाया। दूसरा, जनतंत्र की रक्षा के लिए तानाशाही के खिलाफ जे0पी0 का आन्दोलन, जो बिहार में शुरू होकर पूरे देश में फैला। उनकी 'संपूर्ण क्रांति' ने इस राज्य एवं समाज में परिवर्तन और समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणा दी।

प्रत्येक बिहारी इस शानदार अतीत पर गर्व कर सकता है और प्रेरणा ले सकता है। यहां की जनता सुसंस्कृत है। उनकी राजनीतिक चेतना का स्तर काफी ऊंचा है। अधिकांश ग्रामीण आबादी खबरों में दिलचस्पी रखती है और वह टेलीविजन देखने और रेडियो सुनने के लिए चाय एवं पान की दुकानों में भीड़ लगाती है। अतः इस राज्य को बीमारू राज्य नहीं माना जा सकता। यह राज्य हमेशा जुझारू और गतिशील रहा है। आजादी के पहले और बाद में भी यहां साम्यवादी एवं समाजवादी आंदोलन काफी सशक्त रहे हैं। राजनीति में साझीदारी के लिए पिछड़ी जातियों की जनता का संघर्ष 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में काफी मजबूत रहा।

यह सच है कि पिछले कई दशकों के दौरान ग्रामीण विकास के लिए संसाधन प्राप्त करने में बिहार को पक्षपात का सामना करना पड़ा। भारत सरकार में इसका दबदबा उत्तरोत्तर घटता गया। इसका कमजोर राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रीय नेतृत्व पर दबाव डालने में सक्षम नहीं था। उद्योगीकरण के अभाव में बिहार को आंतरिक उपनिवेश की तरह बरता जाता रहा। इसे तैयार माल बेचने के लिए सिर्फ उपभोक्ता बाजार माना जाता है। अतः यह आवश्यक है कि इसकी आर्थिक नींव मजबूत की जाए। बिहार ने कभी भी राष्ट्रीय हित की कीमत पर अधिक केन्द्रीय संसाधन का दावा

नहीं किया। बिहार के योजना तंत्र को दुरुस्त करने की जरूरत है। विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की क्षमताओं की पहचान करनी होगी। बिहार की बुनियादी संरचना का विस्तार करना होगा, अपने प्रयासों में जनता के भरोसे को कारगर ढंग से प्रोत्साहित करना होगा ताकि जनता में परनिर्भर होने की भावना कम की जा सके।

एक नयी कार्य-संस्कृति पैदा करनी होगी और अनुशासन की भावना का संवर्द्धन करना होगा। नौकरशाही को जनता की जरूरतों, आकांक्षाओं के प्रति अधिक-से-अधिक जवाबदेह देना होगा। उन्हें जनता पर शासन की बजाए जनता की सेवा के प्रति अधिक आस्था व्यक्त करनी होगी। उनका निरंतर प्रयास हो कि हर आंख से आंसू पोछें जाएं। उनको गांधी का मंत्र याद रखना चाहिए कि उनके काम के प्रभाव का पैमाना सामाजिक सोपान का अंतिम व्यक्ति हो। विकास में राजनीतिक दखलंदाजी न हो। दरअसल विकास के एजेण्डे को पार्टी लाईन से ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो सरकार की कार्यकुशलता भी बढ़ सकती है। सूचना का अधिकार और जनहित के मामलों में पारदर्शिता की बढ़ती मांग से भ्रष्टाचार घट सकता है।

हाल के वर्षों में अनाज उत्पादन के मामले में बिहार ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। कुछ फसलों की प्रति एकड़ पैदावार तो देश भर में सबसे अधिक है। अधिक से अधिक खेतों के लिए सुनिश्चित सिंचाई-सुविधा मुहैया करने पर कृषि-उत्पादन और अधिक हो सकता है। उत्तर बिहार में बहुत बड़े भूभाग में कारगर जलनिकासी के अभाव में खेती नहीं हो पा रही है। जलनिकासी के प्रयास जारी हैं। ग्रामीण उद्योगीकरण से गांववालों को आय के पूरक साधन प्राप्त हो सकते हैं और शहर की ओर उनका पलायन रूक सकता है। ग्रामीण उद्योगीकरण को केवल कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि बिजली के सामानों, रेडियो तथा टीवी के हिस्से-पुर्जे आदि के निर्माण संबंधी लघु उद्योगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। बागवानी और फल प्रसंस्करण, दुग्ध-उत्पाद आदि ग्रामीण जनता की आय बढ़ा सकते हैं।

अंतिम विश्लेषण में यह कहा जा सकता है कि बिहार सरकार के समक्ष विकास की जो चुनौतियाँ हैं उनका सामना करने के लिए समाज के सभी वर्गों के समर्पित प्रयास की आवश्यकता है। यह सही है कि छः दशकों का समय बिहार जैसे राज्य के जीवन काल में एक बिन्दु जैसा है जो अपनी पुरातनता के बावजूद सदैव युवा है लेकिन इसके विपरीत निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करने के लिए छः दशक पर्याप्त होते हैं। बिहार में गरीबी, बेरोजगारी एवं अभाव को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि विकास सम्बन्धी मूलभूत सुधार लाए जाएँ जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक सुधारों के साथ-साथ प्रशासनिक सुधार भी सम्मिलित हो। नागरिकों को एक सकारात्मक सोच विकसित करनी होगी और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना होगा तभी विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा।

सन्दर्भ सूची:-

- [1] प्रसाद, वाई0डी0, रूरल डेवलपमेंट इन बिहार, हर आनन्द पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000, पृ0. 8-12.
- [2] उपरोक्त, पृ. 1.
- [3] डॉ0 नीलिमा देशमुख, आर्थिक नीति और प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1997. पृ. 38.
- [4] रुद्र दत्त एवं के. पी. सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली, 1998. पृ. 71.
- [5] सिंह, एस. पी., आर्थिक विकार एवं नियोजन (भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में), एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली, 1998 पृ. 179
- [6] झिंगन, एम. एल., विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन, वृंदा पब्लिकेशन्स प्रा. लि. दिल्ली, 1998. पृ. 609.

